न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 36/2021

उनवान

वादी

1. नवाब खां मीरू खान जाति मुसलमान निवासी गागरिया।

प्रतिवादी

1. मीबा उर्फ मियल पुत्र ईस्माईल
2. सांईदाद पुत्र इस्माईल
3. रमदान पुत्र ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी गागरिया तहसील रामसर।
4. तहसीलदार रामसर।
5. प्रबन्धक नेशनल बैंक शाखा गागरिया जरिये प्रबंधक

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 20.01.2025

राजस्व वाद संख्या 36/2021

निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गागरिया पटवार मण्डल गागरि के खसरा संख्या 42 रकबा 15.5885 हेक्टयर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि आयी हुई है जिसमें वादी द्वारा मुल खातेदारं रमदान पुत्र ईस्माइल के हिस्सा 1/6 हिस्से में से 2 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्री क्रय की गयी है हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार प्रतिवादीगण काबिज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक 28.10.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/2025/80 दिनांक 13.01.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गागरिया पटवार मण्डल गागरि के खसरा संख्या 42 रकबा 15.5885 हेक्टयर भूमि में संलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि को निम्नानुसार बांई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर	लगान	बरंग
1	नवाब खां पुत्र मीरू खा हिस्सा सा. देह खातेदार	42	0.3237	0.01	बैंगनी
2	चिनेसर खान पु. अमर खां हिस्सा 80/963, चिनेसर का हिस्सा रहन SBI रामसर	42	1.2950	0.04	नांरगी
3	मीबा उर्फ मियल पुत्र ईस्माइल हिस्सा 562/726, रमदान पुत्र ईस्माइल हिस्सा 82/1726, रसीदा पुत्र जाकब हिस्सा 280/1726, साईदाद पुत्र इस्माईल हिस्सा 802/1726 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन साईदाद का हिस्सा PNB गागरिया।	42	13.9698	0.42	कबु

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लटठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करें। पत्रावली में संल[illegible] विभाजन मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्च पक्षकारान अपना–अ[illegible] करेंगे [illegible]सार [illegible] पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर
रामसर
20/1/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.01.28 12:45:18 IST
Reason: SelfAttested